मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
===X===

क्रमांक एफ-बी-9/ 7/78/नि-2/चार, भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 1978.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल,
म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
म ध्य प्र दे श ।

विषयः - मृत कर्मचारी के परिवार या अन्य दावेदार को भविष्य निधि का अंतिम भुगतान ।

मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के नियम 32 के अनुसार भविष्य निधि का अंतिम भुगतान देय हो जाने पर भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 के अनुसार भुगतान करने के लिये महालेखाकार जिम्मेदार है । मृत कर्मचारी के मामले में नामांकित व्यक्तियों को या नामांकन न होने की दशा में जो दावेदार हो उन्हें मध्य प्रदेश भविष्य निधि नियम में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक बी-9-1-77/नि-2/चार, दिनांक 18-4-78 व्दारा Seventh Schedule के रूप में स्थापित फार्म में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र देना होता है । नामांकन के न होने की दशा में दावेदार व्यक्ति का रकम पाने का अधिकार तभी स्थापित हो सकता है जब उक्त प्रपत्र के कालम 10 की प्रविष्टि पूर्ण रूप से एवं सही की गई हो ।

2/ महालेखाकार ने इस विभाग के ध्यान में यह लाया है कि अधिकांश प्रकरणों में या तो यह कालम रिक्त रहता है या सही ढंग से नहीं भरा जाता और कार्यालय प्रमुख भी प्रपत्र की प्रविष्टियों की जांच किये बिना महालेखाकार की ओर अग्रेषित कर देते है परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी एकत्रित करने में समय नष्ट होता है और मृत कर्मचारी के परिवार की अन्तिम भुगतान में विलंब हो जाता है । अतः समस्त कार्यालय प्रमुखों को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान संबंधी आवेदन

===2===

पत्र के प्रविष्टियों की भली विधि जाँच करने के पश्चात् ही महालेखाकार की ओर भेजें ।

(डी0 ना0 सोनी)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, वित्त विभाग.

क्रमांक एफ-बी-9/7/नि-2/78, चार, भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 1978.

प्रतिलिपि:-

राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
अवर सचिव, स्थापना/अवर सचिव, अधीक्षण/लेखा अधिकारी
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी
को ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल को ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3- सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, को ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

(डी0 ना0 सोनी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,

मोटवानी/